न्यायालयः— प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग—1, अलीराजपुर (म.प्र.) (समक्ष—राघवेन्द्र सिंह चौहान)

व्यवहार वाद कमांक 11ए / 2016 आर.सी.एस.ए. / 500020 / 2016 संस्थित दिनांक 08.03.2016

- 1. कृष्णकांत पिता स्व. जानकीलाल कोठारी, उम्र 60 वर्ष,
- संजय कुमार पिता स्व. जानकीलाल कोठारी, उम्र 46 वर्ष,
- 3. सुशीलाबाई बेवा जानकीलाल कोठारी, उम्र 80 वर्ष, वादी क. 1 लगायत 3 निवासी महात्मा गांधी मार्ग, अलीराजपुर
- 4. प्रदीपकुमार पिता स्व. जानकीलाल कोठारी, उम्र 54 वर्ष, निवासी हरी महादेव रोड, भीलवाडा
- 5. निर्मलाबाई पति ओमप्रकाशजी सोमानी, उम्र 56 वर्ष, निवासी व्यंक्टेश नगर इंदौर (म.प्र.)

....वादीगण

विरूद्ध

- 1. श्रीमती भारतीदेवी पति कृष्णकांत माहेश्वरी, उम्र 56 वर्ष,
- 2. कृष्णकांत पिता स्व. ओच्छबलाल माहेश्वरी, उम्र 60 वर्ष,
- अनुप कुमार पिता स्व. कृष्णकांत माहेश्वरी, उम्र 33 वर्ष,
 प्रतिवादी क. 1 लगायत 3 निवासी प्रतापगंज मार्ग, अलीराजपुर
- 4. म.प्र. शासन द्वारा कलेक्टर, जिला अलीराजपुर (म.प्र.)प्रतिवादीगण

वादीगण द्वारा प्रतिवादी 1 से 3 द्वारा श्री योगेन्द्र वाणी अधिवक्ता।

श्री अशोक गेहलोत।

प्रतिवादी क. ४ : एकपक्षीय।

<u>निर्णय</u>

(आज दिनांक <u>13.05.2017</u> को घोषित)

1. वादीगण द्वारा यह वाद प्रतिवादी क. 1 लगायत 3 के विरूद्ध भूमि सर्वे नं. 601 रकबा 0.400 हैक्टेयर खाता कं. 202 स्थित ग्राम रामिसंह की चौकी तह. व जिला अलीराजपुर के संबंध में स्वत्व घोषणा, कब्जे की पुष्टि प्रतिवादीगण द्वारा किये गये निर्माण को तुडवाने बाबद एवं रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का, वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप न करने बाबद स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने तथा क्षतिपूर्ति राशि प्राप्त करने बाबद प्रस्तुत किया है।

2. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण तथ्य स्वीकृत नहीं है।

वादीगण का अभिवचन संक्षिप्त में यह है कि, वादीगण के स्वत्व एवं 3. आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 601 रकबा 0.400 हैक्टेयर खाता कं. 202 स्थित ग्राम रामसिंह की चौकी तह. व जिला अलीराजपुर में स्थित है, जिसके पूर्व में सर्वे ने. 608, पश्चिम में अलीराजपुर से दाहोद जाने वाला मार्ग, उत्तर में सर्वे नं. 600 पेकि रकबा 0.320 हैक्टेयर तथा दक्षिण में सर्वे न. 602/2 एवं 602/3 की भूमि (जिसे आगे सुविधा की दृष्टि से विवादित भूमि कहा गया है) है। वादी की विवादित भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी क. 1 के नाम पर कृषि भूमि सर्वे नं. 600 पेकि रकबा 0.240 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रतिवादी कृ. 1, प्रतिवादी कृ. 2 की पत्नी तथा प्रतिवादी क. 3 की मां है इस प्रकार उक्त तीनों प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार है। प्रतिवादीगण ने बिना डायर्वशन कराये विगत माह डोलामाईट फेक्ट्री उत्सव मिनरल के नाम से निर्मित की है एवं प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि के अग्र भाग पश्चिम दिशा में सडक की ओर रोड से हटकर उत्तर—दक्षिण चौडाई में 34 फीट लंबाई में 110 फीट पूर्व—पश्चिम तथा पीछे की ओर उत्तर-दक्षिण दिशा में 34 फीट। इस प्रकार कुल 3740 वर्गफीट भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से फेक्ट्री के लिये मकान का निर्माण किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर निकट भविष्य में मशीन आदि लगाकर कारखाने को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य की भूमि में अतिक्रमण किये जाने से रोका जाना आवश्यक है। वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सीमा चिन्ह हटाने एवं अतिक्रमण किये जाने के संबंध में पूछने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमाद हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा माह फरवरी 2016 में विवादित भूमि पर लगे सीमांकन के खंबे उखाडकर अतिक्रमण किया गया तथा पक्का निर्माण किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए फेक्ट्री के पीछे की ओर निर्माण कार्य किया है तथा ओर अधिक अतिक्रमण कर लिया है। कमीश्नर द्वारा मौके की जांच किये जाने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर 303 बाय 20 वर्गफीट पर ओर अधिक

अतिक्रमण कर लिया है। उक्त कारण से वादीगण की ओर से यह वाद इस न्यायालय की स्थानीय एवं आर्थिक सीमा में होने से समय सीमा में प्रस्तुत किया है। वादीगण की ओर से वाद का उचित रूप से मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क पर प्रस्तुत किया गया है। म.प्र. शासन कृषि भूमि होने के कारण आवश्यक पक्षकार होने से प्रतिवादी के रूप में संयोजित किया गया है किंतु म.प्र. शासन के विरूद्ध कोई सहायता नहीं चाही गई है। अतः वादी का वाद स्वीकार किया जाकर यह घोषित किया जावे कि वादीगण विवादित भूमि स्वत्व एवं आधिपत्यधारी है। प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर जो अतिक्रमण किया गया है उसे हटवाये जाने एवं पूर्व की स्थिति में लाने एवं आधिपत्य वादीगण को दिलवाये जाने बाबद आदेशार्थ निषेधाज्ञा जारी की जावें। साथ ही वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य में प्रतिवादीगण द्वारा हस्तक्षेप न किया जावे इस बाबद स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे तथा प्रतिवादगण के कृत्य से हुए नुकसान के लिये 1,000/— रू तथा निर्माण हटाये जाने तक 500/— रू प्रतिविदन वादीगण को दिलवाया जावें।

4. प्रतिवादी क 1 लगायत 3 के अभिवचन संक्षिप्त में इस प्रकार है कि, विवादित भूमि वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की होना अस्वीकार है। वादीगण द्वारा जो चर्तुसीमा दर्शाई है वह भी असत्य होने से अस्वीकार है। वादपत्र के साथ संलग्न नजरी नक्शा गलत होने से अस्वीकार है। यह भी अस्वीकार है कि विवादित भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी क. 1 की भूमि सर्वे नं. 600 मीन—2 स्थित है। वास्विकता में भूमि सर्वे नं. 601 की भूमि सर्वे नं. 602/2 एवं 602/3 की भूमि के उत्तर दिशा में स्थित है। वादीगण के स्वत्व की कुल भूमि 0.400 हैक्टेयर अर्थात कुल क्षेत्रफल 43056.45 वर्गफीट है, जो कि वादीगण के आधिपत्य में है किंतु वादीगण के मन में बेईमानी आ जाने से शासकीय भूमि को हडपने के लिये प्रतिवादीगण के विरुद्ध यह वाद प्रस्तुत किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने स्वत्व व आधिपत्य की भूमि में निर्माण कार्य किय गया है एवं विधितः ऋण प्राप्त कर निर्माण कार्य किया जा रहा है। प्रतिवादी क. 1 द्वारा नियमानुसार निर्माण कार्य पूर्णकर मशीने स्थापित कर ली गई है। वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण को नुकसान कारित

करने के आशय से झूंठा वाद प्रस्तुत किया गया है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि में कोई निर्माण कार्य नहीं किया है और न ही कोई अतिकमण किया है। प्रतिवादीगण की और से दावा प्रस्तुती पश्चात भी कोई अतिकमण नहीं किया गया। यह अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की 303 बाय 20 फीट भूमि में खंबे पाडकर अतिकमण किया है। वादी द्वारा बेईमानी पूर्वक दावा की गई भूमि से अधिक भूमि अपनी बताई जा रही है। यह भी अस्वीकार है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के आधिपत्य की भूमि में लगे सीमा चिन्ह एवं खंबों को हटाया गया है। वास्तविकता यह है कि वादी की भूमि में सीमा चिन्ह लगे नहीं थे। इस कारण हटाने का कोई कारण नहीं है। वादीगण, प्रतिवादीगण की भूमि कम कीमत पर क्य करना चाहते है, जो प्रतिवादी द्वारा विकय नहीं की जा रही है इस कारण दबाव बनाने हेतु झूंठा दावा पेश किया है। प्रतिवादीगण के कृत्य से कोई वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ है। वादीगण की और से अकारण दावा प्रस्तुत किया गया है। वाद का उचित रूप से मूल्यांकन नहीं किया गया है और न ही पर्याप्त न्यायशुल्क प्रस्तुत किया गया है। वादीगण चाही गई सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः वादीगण का वाद सव्यय निरस्त किया जावें।

5. <u>वाद के निराकरण के लिये निम्नलिखित वाद—प्रश्न विरिचत किये</u> गये, जिनके समक्ष उनके निष्कर्ष अंकित है :—

क	वाद-प्रश्न	निष्कर्ष
1.	क्या वादीगण विवादित भूमि (सर्वे नं. 601 रकबा 0.400 हैक्टेयर परिवर्तित भूमि ग्राम रामसिंह की चौकी तह. व जिला अलीराजपुर) के स्वत्वधारी है ?	
2.	क्या वादीगण की विवादित भूमि परिवर्तित सर्वे क. 601 रकबा 0. 400 हैक्टेयर में से प्रतिवादीगण द्वारा अग्रभाग पश्चिम दिशा में रोड साइड पर से हटकर उत्तर—दक्षिण 34 फीट परिवर्तित भूमि में 110 फीट लंबाई, पूर्व—पश्चिम तथा पीछे पूर्व दिशा में उत्तर—दक्षिण चौडाई 34 फीट पर अतिक्रमण कर (अतिक्रमण की गई भूमि) अवैध निर्माण कर लिया है ?	

3	क्या वादीगण, प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण की गई भूमि का रिक्त आधिपत्य प्राप्ति के अधिकारी है ?	
4	क्या वादीगण, प्रतिवादीगण के विरूद्ध विवादित भूमि पर हस्तक्षेप न किये जाने बाबद स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्ति के अधिकारी है ?	
5	क्या वाद का उचित रूप से मूल्यांकन कर पर्याप्त न्यायशुल्क पर वाद प्रस्तुत किया गया है ?	all .
6.	सहायता एवं व्यय।	A Stell

वाद प्रश्न कं. 1 पर कारण सहित निष्कर्ष :-

न्यायालय के समक्ष विचारणीय बिंदु के संबंध में वादी साक्षी कृष्णकांत (वा.सा.1) ने अपने न्यायालयीन कथन में व्यक्त किया है कि, वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की भूमि सर्वे नं. 601 रकवा 0.400 हैक्टेयर खाता कं. 202 स्थित ग्राम रामसिंह की चौकी तह. व जिला अलीराजपुर में स्थित है, जिसके पूर्व में सर्वे नं. 608, पश्चिम में अलीराजपुर से दाहोद जाने वाला मार्ग, उत्तर में सर्वे नं. 600 पेकि रकबा 0.320 हैक्टेयर तथा दक्षिण में सर्वे न. 602/2 एवं 602/3 की भूमि है। वादी की विवादित भूमि के उत्तर दिशा में प्रतिवादी क. 1 के नाम पर कृषि भूमि सर्वे नं. 600 पेकि रकब 0.240 हैक्टेयर राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। प्रतिवादी क. 1, प्रतिवादी क. 2 की पत्नी तथा प्रतिवादी क. 3 की मां है इस प्रकार उक्त तीनों प्रतिवादीगण आपस में रिश्तेदार है। प्रतिवादीगण ने बिना डायर्वशन कराये विगत माह डोलामाईट फेक्ट्री उत्सव मिनरल के नाम से निर्मित की है एवं प्रतिवादीगण द्व ारा वादीगण के स्वत्व एवं आधिपत्य की विवादित भूमि के अग्रभाग पश्चिम दिशा में सडक की ओर रोड से हटकर उत्तर—दक्षिण चौडाई में 34 फीट लंबाई में 110 फीट पूर्व-पश्चिम तथा पीछे की ओर उत्तर-दक्षिण दिशा में 34 फीट। इस प्रकार कुल 3740 वर्गफीट भूमि में अतिक्रमण कर अवैध रूप से फेक्ट्री के लिये मकान का निर्माण किया है। प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर निकट भविष्य में मशीन आदि लगाकर कारखाने को चालू करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रतिवादीगण को वादीगण के आधिपत्य की भूमि में अतिक्रमण किये जाने से रोका जाना आवश्यक है।

वादी द्वारा प्रतिवादीगण को सीमा चिन्ह हटाने एवं अतिक्रमण किये जाने के संबंध में पूछने पर प्रतिवादीगण लडाई झगडा करने पर आमादा हो गये। प्रतिवादीगण द्वारा माह फरवरी 2016 में विवादित भूमि पर लगे सीमांकन के खंबे उखाडकर अतिक्रमण किया गया तथा पक्का निर्माण किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा दावा प्रस्तुत किये जाने के उपरांत न्यायालय के आदेश का उल्लंघन करते हुए फेक्ट्री के पीछे की ओर निर्माण कार्य किया है तथा और अधिक अतिक्रमण कर लिया है। कमीश्नर द्वारा मौके की जांच किये जाने के बाद प्रतिवादीगण द्वारा विवादित भूमि पर 303 बाय 20 वर्गफीट पर और अधिक अतिक्रमण कर लिया है।

- 7. वादी साक्षी कृष्णकांत के कथनों के विपरित प्रतिवादी साक्षी श्रीमित भारतीदेवी अपने कथन के दौरान वादी के स्वत्य की भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से तथा किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य किये जाने से इंकार करती है। वादी साक्षी कृष्णकांत ने अपने कथनों के समर्थन में प्रपी. 1 की किश्तबंदी खतौनी, प्र.पी. 2 की खसरा तथा प्र.पी. 5 की विक्रय पत्र प्रस्तुत किये है। प्र.पी. 5 के विक्रय पत्र से वादी कृष्णकांत के द्वारा भूमि सर्वे क्यांक 420/2 रकबा 0.404 हैक्टेयर भूमि नन्दिकशोर पिता पन्नालाल माहेश्वरी से क्य किया जाना दर्शित होता है। वादी द्वारा यह वाद भूमि सर्वे कं. 601 स्थित ग्राम रामिसंह की चौकी के संबंध में प्रस्तुत किया है। वादी विवादित भूमि का स्वामी है, यह प्रमाणित करने का भार वादी का है। वादी की ओर से जो प्र.पी. 5 का विक्रय पत्र प्रस्तुत किया गया है, वह विवादित भूमि के संबंध में है, यह प्रमाणित नहीं होता है क्योंकि विक्रय पत्र भूमि सर्वे क्रमांक 420/2 के संबंध में है न कि भूमि सर्वे क्रमांक 601 विवादित भूमि के संबंध में है। वादी का ऐसा भी कोई अभिवचन नहीं है कि पूर्व का सर्वे क्रमांक 420/2 परिवर्तित होकर नवीन सर्वे क्रमांक 601 हो गया है।
- 8. इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या वादी की ओर से ऐसा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया है जो विवादित भूमि पर वादी का स्वत्व प्रमाणित करता हो। जहां तक प्र.पी. 1 के खतौनी एवं प्र.पी. 2 के खसरा का प्रश्न है। उक्त दोनों दस्तावेज राजस्व अभिलेख होकर स्वत्व के दस्तावेज नहीं है। उक्त दोनों दस्तावेजों

में वादीगण का नाम उल्लेखित होना स्वत्व को प्रमाणित नहीं करता है क्योंकि विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि प्रत्येक तथ्य को सर्वश्रेष्ठ साक्ष्य द्वारा प्रमाणित कराया जाना चाहिए। प्रस्तुत प्रकरण में स्वत्व प्रमाणित किये जाने हेतु विक्रय पत्र सर्वश्रेष्ठ दस्तावेज था, जो कि वादीगण की ओर से प्रमाणित नहीं करवाया गया। प्र. पी. 5 का जो दस्तावेज प्रस्तुत किया गया है यह विवादित भूमि से संबंधित है यह वादी द्वारा अपनी साक्ष्य से प्रमाणित नहीं किया गया है। इस प्रकार वादीगण अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि वादीगण विवादित भूमि के स्वामी है। इस प्रकार <u>वाद प्रश्न क्रमांक 1 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में अंकित किया जाता है</u>।

वाद प्रश्न कं. 2 पर कारण सहित निष्कर्ष :-

- 9. वादीगण विवादित भूमि पर अपना स्वत्व प्रमाणित करने में असफल रहा है। वादीगण की ओर से वादी साक्षी कृष्णकांत ने अपने न्यायालयीन कथन में यह व्यक्त किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के स्वत्व व आधिपत्य की विवादित भूमि पर अग्रभाग पश्चिम दिशा में रोड़ साईड पर रोड़ से हटकर उत्तर—दक्षिण चौड़ाई में 34 फीट एवं लंबाई में 110 फीट कुल 3740 वर्गफीट भूमि पर अतिक्रमण कर फेक्ट्री के लिये भवन निर्माण किया है एवं यह भी व्यक्त किया है कि किमश्नर द्वारा मौके की जांच के पश्चात वादी की भूमि पर अतिक्रमण करते हुए 303 गुणा 20 फीट की भूमि पर खंबे गाड़कर अतिक्रमरण कर लिया है। वादी साक्षी के विपरित प्रतिवादी साक्षी भारतीदेवी द्वारा वादी की भूमि में किसी भी प्रकार का अतिक्ररण किये जाने से इंकार किया है।
- 10. वादी साक्षी प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर निर्माण कार्य किया जाना व्यक्त करता है, जबिक प्रतिवादी साक्षी विधितः अपनी भूमि पर निर्माण कार्य किया जाना व्यक्त करती है। उक्त के संबंध में पूर्व के पीठासीन अधिकारी द्वारा वादीगण के आवेदन पर दिनांक 12.09.2016 को आदेश पारित करते हुए सर्वे नंबर 601 स्थित ग्राम रामसिंह की चौकी अलीराजपुर के वर्तमान रकबे की माप व

चर्तुसीमा के संबंध में अपना स्थल निरीक्षण प्रतिवेदन तलब किया गया था, जो कि दिनांक 18.10.2016 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है। उक्त किमश्नर रिपोर्ट पर उभयपक्ष द्वारा कोई आपत्ति नहीं की गई है। इस प्रकार उक्त किमश्नर रिपोर्ट साक्ष्य में ग्राह्य है।

11. किमश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से स्पष्ट है कि भूमि सर्वे क्रमांक 601 अभिलेख अनुसार 0,400 हैक्टेयर का है जबिक नक्शे अनुसार सर्वे क्रमांक 601 का रकबा 0.48 हैक्टेयर है। किमश्नर रिपोर्ट में यह भी उल्लेखित है कि अभिलेख अनुसार रकबा 0,400 हैक्टेयर माने जाने पर उत्सव मिनरल का निर्माण कार्य सर्वे क्रमांक 601 में नहीं आता है किन्तु नक्शे अनुसार सर्वे नंबर 601 का रकबा 0.48 हैक्टेयर माने जाने पर उत्सव मिनरल फेक्ट्री का कुछ भाग सर्वे क्रमांक 601 में आता है। प्रथमतः वादी द्वारा अपने अभिवचन अनुसार स्वयं का रकबा अर्थात विवादित भूमि का रकबा 0.400 हैक्टेयर होना व्यक्त किया है। ऐसी स्थिति में किमश्नर प्रतिवेदन अनुसार ही प्रतिवादीगण द्वारा जो निर्माण कार्य किया गया है वह सर्वे नंबर 601 में नहीं है। ऐसी स्थिति में यदि प्र.पी. 1 एवं 2 के दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि सर्वे कमांक 601 बादीगण के आधिपत्य की मानी भी जावे तो वादीगण की साक्ष्य से यह प्रमाणित नहीं है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य की भूमि में अतिकमण कर निर्माण कार्य किया गया है। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 2 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद प्रश्न कं. 3 पर कारण सहित निष्कर्ष :-

12. वादी अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित करने में असफल रहा तब वादी अतिक्रमण हटवाकर रिक्त आधिपत्य प्राप्त करने का भी अधिकारी नहीं है। इस प्रकार वाद प्रश्न क्रमांक 3 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद प्रश्न कं. 4 पर कारण सहित निष्कर्ष :-

13. न्यायालय पूर्व में यह प्रमाणित पा चुका है कि वादीगण विवादित भूमि के स्वत्वधारी नहीं है। वादीगण अपनी साक्ष्य के आधार पर यह भी प्रमाणित करने में असफल रहे है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य की भूमि पर निर्माण कार्य किया गया है। वादी साक्षी कृष्णकांत द्वारा अपने कथन में प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण के आधिपत्य में हस्तक्षेप किया जाना व्यक्त किया है। वादी साक्षी के विपरित प्रतिवादी साक्षी भारतीदेवी अपने कथन के दौरान वादीगण द्वारा प्रतिवादीगण की भूमि कम कीमत पर खरीदने के लिये दबाव बनाने हेतु झुठा दावा प्रस्तुत किया जाना व्यक्त किया है। उपरोक्तानुसार जबिक वादीगण अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर प्रतिवादीगण द्वारा अतिक्रमण कर अवैध निर्माण किया जाना प्रमाणित करने मे असफल रही है तब हस्तक्षेप न किये जाने बाबत् प्रतिवादीगण के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाना न्यायालय न्यायोचित नहीं पाता है। इस प्रकार वाद प्रश्न कमांक 4 का निष्कर्ष "प्रमाणित नहीं" के रूप में अंकित किया जाता है।

वाद प्रश्न कं. 5 पर कारण सहित निष्कर्ष :-

14. प्रतिवादीगण की ओर से यह आपित्त ली गई है विवादित भूमि का मूल्यांकन एक करोड़ रूपये गाईड़ लाईन अनुसार है किन्तु वादीगण द्वारा वाद का मूल्यांकन उचित रूप से नहीं किया गया है एवं पर्याप्त न्यायशुल्क पर वाद प्रस्तुत नहीं किया गया है, किन्तु प्रतिवादी की ओर से न ही कोई ऐसी गाईड़ लाईन प्रस्तुत कि गई है जो विवादित भूमि की कीमत एक करोड़ रूपये दर्शित करती है। अन्यथा भी विवादित भूमि कृषि भूमि है। ऐसी स्थिति में वादी की की ओर से स्वत्व ६ विषणा एवं आधिपत्य प्राप्ति हेतु वाद का जो मूल्यांकन किया गया है वह न्यायालय उचित पाता है साथ ही जिस न्यायशुल्क पर दावा प्रस्तुत किया गया है वह भी न्यायालय उचित पाता है। इस प्रकार बाद प्रश्न कमांक 5 का निष्कर्ष ''प्रमाणित'' के रूप में अंकित किया जाता है।

सहायता एवं व्यय:-

- 15. वादीगण अपनी साक्ष्य एवं दस्तावेज के आधार पर अपना वाद प्रमाणित करने में असफल रहें है। अतः निम्नलिखित आशय की डिकी पारित की जाती है:-
 - अ. वादीगण का वाद अस्वीकार कर निरस्त किया जाता है
- ब. वादीगण अपना वाद व्यय स्वयं वहन करें तथा प्रतिवादीगण का भी वाद व्यय वादीगण वहन करें।
- द. अभिभाषक शुल्क नियमानुसार या जो प्रमाणित हो एवं जो कम हो, वाद व्यय में जोडा जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित घोषित किया गया।

मेरे निर्देश पर टंकित।

(राघवेन्द्र सिंह चौहान) प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 अलीराजपुर (म.प्र.)

चौहान) (राघवेन्द्र सिंह चौहान) याधीश वर्ग–1 प्रथम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–1 (म.प्र.) अलीराजपुर (म.प्र.)